

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

राज्य

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

100-175-179 फटा रिप) पत्रावली का 2 जनवरी
 (केवलकत किया गया एवं वही पर प्रत किया गया)
 प्रार्थीगण रिपोर्ट जोरदा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
 लिखानत अप्रामाणिक है। इतर रिपोर्ट दस्तावेज के
 द्वारा पर दस्तावेजगण को जरिये दस्तावेज निषेधाज्ञा
 के प्रावधान नहीं किया जा सकता। राज्यपाल कोठारी
 दक्षिण 1955 धारा 92 ए व 188. इतर रिपोर्ट द्वारा
 के द्वारा पर दक्षिण प्राप्त नहीं होते। प्रार्थीगण
 वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इस प्रकार में लातू होते
 हैं। इतर: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थीगण पत्र दस्तावेज
 निषेधाज्ञा एतद्वारा दस्तावेज का जारी किया
 जाना उचित एवं अप्रामाणिक होता है।

निष्पत्ति

प्रार्थी का प्रार्थीगण पत्र दस्तावेज निषेधाज्ञा जाकि
 नहीं होने के जारी किया जाता है। पत्रावली
 फंक्शन हुआ है। नम्बर के रक्त है तथा दस्तावेज
 दस्तावेज) $\alpha \mu \epsilon$ -

25/3/22